राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2) विभाग

प034(10)चिस्वा/2/2014

जयपुर, दिनांक 05-9-14

आदेश

डा0 रतन कुमार मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्रं. सं.	राजपत्रित अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	डा0 रतन कुमार मीणा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	22-02-55	28-02-15

कार्मिक विभाग की रिपोर्ट के अनुसार डा0 रतन कुमार मीणा के विरूद्ध वर्तमान में कोई शिकायत/एफ़आईआर/विभागीय जांच विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-Sd-

(महावीर सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 विशिष्ट सहायक, मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय।
3 निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर। निदेशक (जन स्वा0) को प्रेषित कर लेख है कि कृपया संबंधित चिकित्सक को प्रति भेजकर सूचित करने का श्रम करें।
4 निदेशक, पेशन एवं पेशन वेलफेयर विभाग, राज0, जयपुर।
5 संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
6 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर।
7 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
8 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, अलवर।
9 प्रभारी, कम्प्युटर सर्वर रूम को वेबसाईट हेतु।
10 कम्प्युटर सैल/रक्षित पत्रावली।

(ए0एच0 अंसारी)
शासन सहायक सचिव